भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2218

जिसका उत्तर 15.03.2021 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर जिले के वाहनों के लिए टोल मुक्त सुविधाा

2218 श्री नीरज डांगी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का टोल प्लाजाओं की अवस्थिति से संबंधित जिलों के वाहनों का राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल-मुक्त करने का विचार हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कब तक टोल-मुक्त किए जाएंगे; और

(ग) यदि नहीं तो, संबंधित जिलों के वाहनों को टोल में ढील न दिए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 के अनुसार, एक गैर-वाणिज्यिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाजा से 20 किलोमीटर के भीतर रहने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास का प्रावधान है। एक विशेष जिले में पंजीकृत एक वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहन को छोड़कर) सभी फीस प्लाजाओं पर निर्धारित प्रयोक्ता शुल्क के 50% के भुगतान के लिए पात्र है जो उस जिले के भीतर स्थित हैं। सभी छूट और मासिक पास फास्टैग के माध्यम से लागू होते हैं।

*****